न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 200/2016 (2016/00353) दर्ज दिनांक 26.12.2016
वाद– अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. मदनगोपाल पिता रामस्वरूप बहेड़िया निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. प्रभापुत्री रामस्वरूप बहेड़िया पत्नि ईश्वरलाल कोठारी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल निवास अहमदाबाद (गुजरात) जरिये पावर ऑफ अटोर्नी हॉल्डर मदनगोपाल पिता रामस्वरूप बहेड़ियानिवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रेम उर्फ प्रीती देवी पुत्री रामस्वरूप बहेड़िया पत्नि बालमुकन्द मालीवाल निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास चितौड़गढ़ (राज0)जरिये पावर ऑफ अटोर्नी हॉल्डर मदनगोपाल पिता रामस्वरूप बहेड़ियानिवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. भीमराज पिता रामरतन महाजन निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीगण:–श्री महेश दाधीच
पेरोकार सरकार

वाद पत्र बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

दिनांक 18.01.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर [illegible] म लाखोला, पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा में आराजी संख्या 963 [illegible] हे0 भूमि स्थित है जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2071–2074 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.19 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी संख्या 963 रकबा 0.29 हे0 के साबिक नम्बर 884 रकबा 1 बीघ[illegible]स्वा है जिसके लिये मिलान क्षेत्रफल व साबिक जमाबंदी प्रस्तुत है।

1.

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

वादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है–

रामदयाल (फौत)
।
नजर बाई (विधवा फौत)
।
रामस्वरूप (पुत्र फौत)
।

मदनगोपाल (पुत्र)	प्रभा (पुत्री)	प्रेम उर्फ प्रिती (पुत्री)	यशोदा (फौत)

यह कि उक्त वर्णित आराजी के साबिक नम्बर 884 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा है जो संवत् 2010 से 2013 में वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। राजस्व अभिलेखों में मु0बि0क0 दाखिला लगा हुआ है। वादीगण के पूर्वाधिकारी के कब्जे काश्त में 65 वर्षो से अधिक समय से कब्जे काश्त में चली आ रही है। पूर्व रामदयाल के नाम पर मु0बि0क0 दर्ज थी उनके निधन के बाद नजर बाई के नाम दर्ज हुई। वादीगण पिछले 65 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त लाभ ले रहे है तथा रहन की अवधि निकल चुकी है। उक्त भूमि पर वादीगण को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार अधिकार अवाप्त हो गये है।

यह कि उक्त वर्णित आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में पिछले 65 वर्षो से अधिक समय से काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व मु0बि0क0 (मुर्त बिल काबिज) चली आ रही हैं। वादीगण बैहेसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्तलाभ ले रहे है तथा रहन की अवधि निकल चुकी है तथा वादीगण को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है लेकिन वादीगण के नाम अभिलिखित नहीं होने से वादीगण के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है जिससे वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है।

यह कि उक्त वर्णित आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं लेकिन प्रतिवादी संख्या एक के नाम अभिलिखत होने से प्रतिवादी संख्या एक अन्य को विकय करने व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है व वादीगण का आधिपत्य हटाने की धमकियां दे रहा है जिससे वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशयकी स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि उक्त वर्णित आराजियात 963 रकबा 0.29 हे0 भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, न वादीगण का आधिपत्य हटावे, न अन्य को विकय करें , न अन्य को किसी प्रकार से हस्तानान्तरित करे, न ये कृत्य स्वयं करे न अन्य से करावें।

यह कि वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 01.12.2016 को पैदा हुआ जब वादीगण ने प्रवितादीगण को उक्त भूमि अपने नाम दर्ज कराने के लिये कहा तो उन्होंने मना कर दिया तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अतः सादर प्रार्थना हैं –

कि वादपत्र में वर्णित आराजियात 963 रकबा 0.29 हे0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व तद्नुसार डिक्री जारी फरमायी जावे।

वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशयकी स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि उक्त वर्णित आराजियात 963 रकबा 0.29 हे0 भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, न वादीगण का आधिपत्य हटावे, न अन्य को विकय करें , न अन्य को किसी प्रकार से हस्तानान्तरित करे, न ये कृत्य स्वयं करे न अन्य से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.19 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 26.12.2016 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है अतः जवाब देही बंद की जाती है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् वादपत्र के समर्थन में वादी संख्या 1 ने स्वयं के शपथ पत्र पीड़ब्लयू –1 प्रस्तुत कर शपथ पत्र प्रस्तुत कर शपथ पत्र में वाद वर्णित बिन्दुओं को दोहराया एवं शपथ ली की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 प्रदर्श – 1 है। जमाबंदी संवत् 2010 से 2013 प्रदर्श– 2 है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3 है। तथा पावर ऑफ एटोर्नी प्रदर्श – 4 है। इसी प्रकार वादी के पक्ष मे रामपाल पिता गोविन्दराम बहेड़िया एवं शंकरलाल पिता भवानी राम जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा क्रमशः शपथ पत्रपीड़ब्लयू –2 एवं पीड़ब्लयू –3 पेश कर शपथ पूर्वक निवेदन किया कि ग्राम लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 963 रकबा 0.29 हे0 भूमि स्थित है जिस पर वादीगण करीब 65 वर्षो से काबिज होकर काश्त लाभ प्राप्त कर रहे है व उक्त वादवर्णित आराजियात पर वादीगण के पूर्वजों के समय से ही मूर्त बिल काबिज का दाखिला लगा हुआ है तथा मै वादीगण व उक्त वाद वर्णित आराजियात को जानता हूँ। शपथ पूर्वक निवेदन हैं कि वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात के साबिक नम्बर 884 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा है जो संवत् 2010 से 2013 में वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। राजस्व अभिलेखों में मु0बि0क0 दाखिला लगा हुआ है वादीगण के पूर्वाधिकारी के कब्जे काश्त में 65 वर्षो से अधिक समय से कब्जे काश्त में चली आ रही है पूर्व में रामदयाल जी के नाम पर मु0बि0क0 दर्ज थी उनके निधन के बाद नजर बाई के नाम दर्ज हुई। वादीगण पिछले 65 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त लाभ ले रहे है तथा रहन की अवधि निकल चुकि है। उक्त भूमि पर वादीगण को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार अवाप्त हो गये है।

वादीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं तथा साथ ही वाद पत्र को सिद्ध कराने में निम्न न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये है:–

1. Shri Murad V/S Shri Mehtab & others R.R.D. 1975page 150
2. Vidhya Devi V/S Amichand&anr. R.R.T. 220 page 819
3. Madan Lal & Ors. V/S Madho&anr. R.R.D. 1996 page 351

अतः उक्तानुसार साक्ष्यों एवं न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन फरमाते हुए वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किया जावें।

मैंनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ... पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन पर वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 अन्तर्गत धारा का यह न्यायालय वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतएवं–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.19 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

3.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

–: आदेश :–

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं।वादीगण को ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला में स्थित आराजी संख्या 963 रकबा 0.29 हे0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजियात 963 रकबा 0.29 हे0 प्रतिवादी संख्या 1 के बजाए वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि प्रतिवादीगण वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी संख्या 963 से बेदखल नहीं करें। तदनुसार घोषणात्मक डिक्री जारी हो।

पत्रावली वाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 3.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर
जिला भीलवाड़ा
(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.19 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 200/2016 (2016/00353) दर्ज दिनांक 26.12.2016
वाद– अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. मदनगोपाल पिता रामस्वरूप बहेड़िया निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. प्रभापुत्री रामस्वरूप बहेड़िया पत्नि ईश्वरलाल कोठारी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल निवास अहमदाबाद (गुजरात) जरिये पावर ऑफ अटोर्नी हॉल्डर मदनगोपाल पिता रामस्वरूप बहेड़िया निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रेम उर्फ प्रीती देवी पुत्री रामस्वरूप बहेड़िया पत्नि बालमुकन्द मालीवाल निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास चितौड़गढ़ (राज0) जरिये पावर ऑफ अटोर्नी हॉल्डर मदनगोपाल पिता रामस्वरूप बहेड़िया निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. भीमराज पिता रामरतन महाजन निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीगणः–श्री महेश दाद्यीच
पेरोकार सरकार

डिक्री दिनांक 18.01.2021

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश दाद्यीच एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती हैं कि ---×--- और इस वाद के खर्च लेखे -----×---- रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर -----×------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित -----×------ द्वारा -----×------ को दी जाए।

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं।वादीगण को ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला में स्थित आराजी संख्या 963 रकबा 0.29 हे0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजियात 963 रकबा 0.29 हे0 प्रतिवादी संख्या 1 के बजाए वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि प्रतिवादीगण वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी संख्या 963 से बेदखल नहीं करें। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर भीलवाड़ा(राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.19 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),
गंगापुर भीलवाड़ा(राज0)

गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner